मानो

बनाम

तमिलनाडु राज्य

आपराधिक अपील संख्या-462/2007

(एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या-5227/2006)

निर्णय दिनांक 2-4-2007

(न्यायमूर्ति डाॅ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंटा)

भारतीय दण्ड संहिता 1860, अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34:

हत्या-अभियुक्त/अपीलार्थी और तीन अन्य अभियुक्तगण ने धारदार हथियारों से लैस होकर मृतक के रिश्तेदारों की उपस्थिति में मृतक पर हमला किया- चोटों के कारण मृतक ने दम तोड़ दिया-परिवाद/ एफ.आईआर.- चार्जशीट- दोषसिद्धि-रिश्तेदार/हितबद्घ साक्षियों की अभियुक्त की दोषसिद्धि के संबंध में गवाही/साक्ष्य के संबंध में-यह अभिनिर्धारित किया गया कि संबंध किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है-एक रिश्तेदार आम तौर पर वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं

लगाएगा- यदि गलत फंसाने की दलील दी गई, तो उसके आधार बताने होंगे-ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है?- दलील कि करीबी गवाह होने के नाते गवाह पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, में कोई सार नहीं है -साक्ष्य अधिनियम 1872

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, लगभग 08.30 पी.एम. पर मृतक के चाचा P.W. 1 और P.W. 3 एक कब्रिस्तान के रास्ते पर बिजली के खंभे के पास बातचीत में लगे हुए थे। मृतक भी उन्हीं की ओर आ रहा था। अचानक अभियुक्त ए-1 चाकू से, अभियुक्त ए-2/अपीलकर्ता चाकू से और अन्य दो अभियुक्त ए-3 व ए-4 क्रमशः एक बड़ी छड़ी और लोहे के पाइप से लैस होकर एक कंटीली झाड़ी के पीछे से आये और मृतक पर हमला करने लगे। परिणामतः मृतक को चोेटें लगी और गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने चाेटों के कारण दम तोड़ दिया। P.W. 1 ने, पुलिस उपनिरीक्षक P.W. 12 को शिकायत दी, शिकायत के आधार पर P.W. 12 ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके पश्चात पुलिस निरीक्षक P.W. 13 को उसी दिन एफ.आईआर. प्राप्त हुई और उसने अनुसंधान किया। इसके पश्चात पुलिस ने सभी चार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया और ए-1

और ए-2 के इकबालिया बयान दर्ज किये और चाकू बरामद किये। अनुसंधान पूर्ण होने पर अनुसंधान अधिकारी ने सभी आरोपियों के विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए आरोप-पत्र दायर किया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता और तीन अन्य आरोपियों को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध का दोषी पाया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा दी । प्रारम्भ में चार आरोपी थे, उनमें से केवल तीन ए-1, ए-2 व ए-3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जो आक्षेपित निर्णय के द्वारा खारिज कर दी गई। वर्तमान अपील आरोपी ए-2 ने दायर की ।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जिस एफ.आईआर. को सूचना माना गया था, जिसके आधार पर कानून लागू किया गया था, वह वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं थी और समय के संदर्भ में एक और दस्तावेज था,यह कि दो गवाह, जिनकी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने दोषसिद्घि दर्ज की, P.W. 1 और P.W. 3, मृतक से संबंधित थे और जो संस्करण/मामला विचारण के दौरान सामने आया, वह अत्यंत अविश्वसनीय है, यह कि यह असंभव है कि कोई रात 8 बजे के लगभग छिपा रहेगा और अंधेरे में हमला नहीं करेगा और इसके बजाय एक लैंप पोस्ट के पास हत्या कर देगा, यह कि P.W. 2, 4 और 6 ने अभियोजन

संस्करण/मामले का समर्थन नहीं किया और यह कि हथियार काफी समय बाद बरामद किए गए थे और वे रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजे गये।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि-

1. कथित घटनाओं के संबंध में पहले रिपोर्ट होने के बारे में न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष कोई दलील दी गई थी, इसलिए जैसा कि वर्तमान में आग्रह किया गया है, उस रूख को स्वीकार करना संभव नहीं है। (पैरा 10) {683-बी}

2.1 अभियोजनपक्ष के संस्करण/मामले को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की हितबद्घता के संबंध में, संबंध/रिश्ते गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कोई कारक नहीं है। ऐसा बहुधा होता है कि एक रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छुपायेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगायेगा। यदि गलत फंसाने की दलील दी गई, तो उसके आधार बताने पड़ेंगे-ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है? (पैरा 12) {683-डी}

दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए.आईआर. (1953) एस.सी. 364, गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1974) 3 एस.सी.सी. 698 और वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य ए.आईआर. (1957)

एस.सी. 614 पर भरोसा किया गया।

2.2 इस आधार में कोई सार नहीं है कि साक्षी एक करीबी रिश्तेदार है और परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण गवाह होने से उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आईआर. (1953)एस.सी. 364, मसालती और अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, ए.आईआर. (1965) एस.सी. 202, पंजाब राज्य बनाम जगीर सिंह, ए.आईआर. (1973) एस.सी. 2407, लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002), 3 एस.सी.सी. 76 और एस.सुदर्शन रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आईआर. (2006) एस.सी. 2716, पर भरोसा किया गया।

3. भले ही लंबी अवधि के बाद हथियारों की बरामदगी का दावा किया गया और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, यह किसी भी तरह से अभियोजन संस्करण/मामले के साक्ष्य मूल्य को कम नहीं करता है। (पैरा 19) {685-बी}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील संख्या-462/2007

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित 12.01.2006, सीआर.एल.ए. संख्या-1861/2002 से

सी.एस.एन. मोहनराव--अपीलकर्ता के लिए

वी.कनकराज, एस.वल्लीनायगम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन और वी.जी. प्रगसम--प्रत्यर्थी के लिए

न्यायमूर्ति डाॅ. अरिजीत पसायत के द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

1 अनुमति स्वीकृत की गई।

2. इस अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता और दो अन्य द्वारा दायर अपील को खारिज करने के फैसले को दी गई है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आई.पी.सी.) की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता और दो अन्य की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता और तीन अन्य को दोषी ठहराया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और व्यतिक्रम शर्त के साथ 4,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। उनमें से केवल तीन ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की ।

3. मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजनपक्ष का मामला इस प्रकार है:

4. सुविधा के लिए, अभियुक्त व्यक्तियों-अपीलकर्ताओं को A1, A2

और A3 के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य आरोपी काे A4 के रूप में वर्णित किया गया है।

5. शिवरामन (A1) पेरियाइरूसम्पालयम गांव का निवासी है। मानो (A2) और नागप्पन (A3) अरियांकुप्पम गांव के निवासी हैं। शिवराज (PW-1) और गणपित (PW-3) भाई हैं और वे पेरियाइरूसम्पालयम के ही निवासी हैं। पेरियाइरूसम्पालयम गांव में अंगलम्मन मंदिर में उत्सव के समय A1 और PW-1 के बीच झगड़ा हुआ था। उक्त झगड़े को PW-1 और PW-3 के एक अन्य भाई के बेटे पसुपति (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) द्वारा शांत किया गया था और इस तरह ए 1 को यह लगा कि मृतक श्रीनिवासन का एक समर्थक था। उस धारणा के कारण, A1 और मृतक के बीच दुश्मनी थी। दिनांक 8.5.2000 को लगभग 8.30 पी.एम. पर PW-1, PW-3, विजयन, मुरुगन, बाबू और वीरप्पन कब्रिस्तान के रास्ते में बिजली के खंभे के पास बातचीत में लगे हुए थे। उस समय, मृतक शौच के उद्देश्य से कब्रिस्तान के रास्ते की ओर आ रहा था। PW-1 भी उसका पीछा कर रहा था। उसी समय, अचानक A1 चाकू से लैस होकर, A2 चाकू से लैस होकर और A3 और A4 क्रमशः एक बड़ी छड़ी और लोहे के पाइप से लैस होकर कंटीली झाड़ी के पीछे से आए और मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से A1 और A2 ने मृतक की गर्दन पर चाकुओं से हमला किया और A3 ने बड़ी छड़ी से मृतक पर

हमला किया। नतीजतन, मृतक को चोटें लगी और वह गिर गया। यह देखकर, PW-1 और अन्य लोग पास पहुंचे और आरोपी व्यक्ति घटना स्थल से भाग गए। घायल मृतक को पांडिचेरी के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद, PW-1 ने दिनांक 9.5.2000 को सुबह लगभग 5.00 बजे पुलिस उपनिरीक्षक बालाकृष्णन (PW-12) को शिकायत Ex.P1 के रूप में चिन्हित, दी। Ex.P1 के आधार पर, PW-12 ने अपराध संख्या-132/2000 में धारा 302 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया और प्रिंटेड एफ.आईआर. Ex.P 15 के रूप में चिन्हित, तैयार की और उसे मजिस्ट्रेट को भेज दी और प्रतियां उच्च अधिकारियों को भेज दी । इसके बाद, पुलिस निरीक्षक, सुंदरराजन (PW-13) को दिनांक 9.5.2000 को सुबह लगभग 5.30 बजे उक्त एफ.आईआर. प्राप्त हुई और उन्होंने अनुसंधान शुरू किया और पेरियाइरूसम्पालयम गांव गए और गोपू (PW-7) और पलानी (PW- 8) की उपस्थिति में घटना स्थल का दौरा किया और अवलोकन महजर तैयार किया और घटना स्थल से M.Os 1 से 8 महज़र Ex.P 18 के रूप चिन्हित, तैयार करते हुए भी बरामद किये और उन M.Os को मजिस्ट्रेट को भेज दिया। अनुसंधान जारी रखते हुए वह पांडिचेरी सरकारी अस्पताल गया और पंचायतदारों और गवाहों की उपस्थिति में पसुपति के शव की समीक्षा की और समीक्षा रिपोर्ट Ex.P 19 के रूप में चिन्हित, तैयार की और गवाहों की भी परीक्षा की

और फिर अनुज्ञा-पत्र Ex.P 20 के रूप में चिन्हित, के साथ हेड कांस्टेबल थुक्काराम के माध्यम से शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की व्यवस्था की और उन्होंने आरोपी व्यक्तियों की तलाश की। इस बीच, डॉ. बालारमन (PW-10) ने पोस्टमार्टम किया और उन्होंने निम्नलिखित पांच बाहरी चोटें पाईं।

> "1. दाहिनी ऊपरी आंख की पलक पर नीलापन और सूजन मौजूद है।
>
> 2. सिर के बाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 4 x 1 x गहरे बंधन वाली फटी हुई चोट और नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ।
>
> 3. सिर के बाएँ पश्च भाग के ऊपर हड्डी में 5 x 1 x गहराई तक फटी हुई चोट।
>
> 4. सिर के बाएँ पश्च भाग के ऊपर 4 x 1 x हड्डी की गहरी चोट।
>
> 5. बाएं कान के पीछे गर्दन के पीछे मौजूद अंतर्निहित हड्डी के फ्रैक्चर के साथ 10 x 1.5 x हड्डी की गहराई तक तिरछा कटा हुआ घाव।"

6. इसके अलावा अंदरूनी चोटें भी थी। उन्होंने Ex.P 10 के रूप में चिन्हित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी इस राय के साथ तैयार की कि उक्त

पसुपति की मृत्यु उसके सिर पर चोटें लगने के कारण हुई थी। पुलिस निरीक्षक ने सभी चार आरोपियों को दिनांक 15.5.2000 को लगभग 3.30 पी.एम. पर थवलाकुप्पम रोड़ जंक्शन पर गिरफ्तार किया और A1 का इकबालिया बयान Ex.P 20 के रूप में चिन्हित किया और A2 का इकबालिया बयान Ex.P 22 के रूप में चिन्हित किया। Ex.P 23 और Ex.P 24 के रूप में चिन्हित, मजहर तैयार करते हुए चाकू M.O 9 और M.O 10 के रूप में चिन्हित, बरामद किये और डाॅक्टर बालारमन को उक्त M.Os 9 और M.Os 10 दिखाते हुए उनकी परीक्षा की। उसके पश्चात आराेपी को न्यायिक अभिरक्षा के लिये भेज दिया और M.Os को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजने हेतु मजिस्ट्रेट को अनुरोध-पत्र कदया। रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट मिलने के बाद अंत में उसने अनुसंधान पूर्ण किया व सभी अारोपियों के विरूद्घ धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप-पत्र दायर किया।

7. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करने पर पाया कि अपीलकर्ता और तीन अन्य लोग अपराध के दोषी थे और जैसा कि ऊपर बताया गया, प्रत्येक को सजा सुनाई। शुरुआत में चार आरोपी व्यक्ति थे। उनमें से केवल तीन यानी A1, A2 और A3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया।

वर्तमान अपील A2 के द्वारा है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जिस एफ.आईआर. को सूचना माना गया था, जिसके आधार पर कानून लागू किया गया था, वह वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं थी और समय के संदर्भ में एक और दस्तावेज था, जिस एफ.आईआर. पर विचारण न्यायालय ने संज्ञान लिया, वह दिनांक 9.5.2000 को शाम 5 बजे दर्ज की गई थी, जबकि पहले की सूचना अस्पताल द्वारा दिनांक 8.5.2000 को दोपहर 2.30 बजे दी गई थी। जिन दो गवाहों PW-1 और PW-3 की साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने सजा दी थी, वे मृतक से संबंधित थे। विचारण के दौरान सामने आया संस्करण/मामला अत्यंत अविश्वसनीय है। यह निवेदन किया गया कि यह असंभव है कि कोई रात 8 बजे के लगभग छिपा रहेगा और अंधेरे में हमला नहीं करेगा और इसके बजाय एक लैंप पोस्ट के पास हत्या कर देगा। PW-2, 4 और 6 ने अभियोजन संस्करण/मामले का समर्थन नहीं किया। हथियार काफी समय बाद बरामद किए गए और वे रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजे गये। इसलिए यह निवेदन किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा पोषणीय नहीं है।

9. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले का

समर्थन किया।

10. यह ध्यान देने योग्य है कि कथित घटनाओं के संबंध में पहले रिपोर्ट होने के बारे में न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष कोई दलील दी गई थी, इसलिए जैसा कि वर्तमान में आग्रह किया गया है, उस रूख को स्वीकार करना संभव नहीं है।

11. अन्य आधार PW-1 और PW-3 के बयानों के साक्ष्य मूल्य से संबंधित है, जिनके मृतक से संबंधित होने का दावा किया गया था।

12. अभियोजन संस्करण/मामले को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की हितबद्घता के संबंध में देखें, तो संबंध किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा बहुधा होता है कि एक रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छुपायेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगायेगा। यदि गलत फंसाने की दलील दी गई, तो उसके आधार बताने पड़ेंगे-ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है?

13. दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आईआर. (1953) एस.सी. 364 में इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

"एक गवाह को आम तौर पर तब तक स्वतंत्र माना जाता है,

जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से नहीं आता है, जहां उसके भ्रष्ट होने की संभावना है और आमतौर पर इसका मतलब यह है कि जब तक कि गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसे कारण नहीं हैं और वह उसे झूठा फंसाने की इच्छा रखता है। आम तौर पर कोई नजदीकी रिश्ता ही असली अपराधी को छिपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने में आखिरी होता है। यह सच है, जब भावनाएँ चरम पर होती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी के साथ-साथ एक निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके प्रति गवाह के मन में द्वेष हो, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार रखे जाने चाहिए। केवल रिश्ते का तथ्य, जो आधार से कोसों दूर है, अक्सर सच्चाई की पक्की गारंटी होता है। हालाँकि, हम किसी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने आने वाले मामलों में अक्सर आने वाली बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों तक ही सीमित और उससे ही शासित होना चाहिए।"

14. उपरोक्त निर्णय का गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1974) 3 एस.सी.सी. 698 मे पालन किया गया है, जिसमें वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य ए.आईआर. (1957) एस.सी. 614 पर भी भरोसा किया गया था।

15. हम यह भी देख सकते हैं कि इस आधार में कोई सार नहीं है कि साक्षी एक करीबी रिश्तेदार है और परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण गवाह होने से उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को दलीप सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, जिसमें बार के सदस्यों के मन में व्याप्त इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। न्यायमूर्ति विवियन बोस के माध्यम से बोलते हुए यह देखा गया कि:

> "हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता है। यदि इस तरह के अवलोकन का आधार इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएं हैं और सात पुरुषों का भाग्य उनकी गवाही पर निर्भर करता है, हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते हैं। यदि यह इस कारण पर आधारित है कि मृतक से उनका गहरा संबंध है, तो हम सहमत होने में असमर्थ हैं। यह कई आपराधिक मामलों में सामान्य भ्रांति है और एक जिसे इस

न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 'रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य' ए.आईआर. (1952) एस.सी. 54 पृष्ठ 59 पर में दूर करने का प्रयास किया। हालाँकि, हम पाते हैं कि दुर्भाग्य से यह अभी भी कायम है, अगर अदालत के फैसलों में नहीं, तो किसी भी दर पर वकील की दलीलों में।"

16. मसालती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आईआर. (1965) एस.सी. 202 में इस न्यायालय ने फिर से यह देखा (पृ. 209-210 पैरा 14) :

"लेकिन हमारा मानना है कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दी गई साक्ष्य को केवल इस आधार पर अमान्य कर दिया जाना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण या हितबद्घ गवाहों की साक्ष्य है। ऐसे साक्ष्यों को एकमात्र इस आधार पर कि यह पक्षपातपूर्ण है, यांत्रिक रूप से अस्वीकार करना हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगा। साक्ष्य की कितनी विवेचना की जानी है, इसके बारे में कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे साक्ष्यों के निपटान में न्यायिक दृष्टिकोण में सतर्कता आवश्यक है, लेकिन यह दलील कि ऐसे साक्ष्य को अमान्य कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है, को सही नहीं माना जा सकता।

17. इसी आशय का निर्णय पंजाब राज्य बनाम जगीर सिंह ए.आईआर. (1973) एस.सी. 2407 और लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002) 3 एस.सी. सी. 76 में है।

18. एस. सुदर्शन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ ए.पी. ए.आईआर. (2006) एस.सी. 2716 में यह देखा गया कि संबंध किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा बहुधा होता है कि एक रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छुपायेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगायेगा। यदि गलत फंसाने की दलील दी गई, तो उसके आधार बताने पड़ेंगे। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है?

19. यहां तक कि लंबी अवधि के बाद हथियारों की बरामदगी का दावा किया गया हो और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया हो, तो भी यह किसी भी तरह से अभियोजन संस्करण/मामले के साक्ष्य मूल्य को कम नहीं करता है।

20. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, इस अपील के काेई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।